''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण-हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104] रायपुर,, गुरूवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2007 – चैत्र 26, शक 1929

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाईन, जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, दिनांक : 16 अप्रैल , 2007

क्र. 19/छ.रा.वि.नि.आ./2007। विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्र. 36) की धारा 50 एवं 181 (2) (t) सहपठित धारा 181 (2) (x) और धारा 43 (1), 46, 47 (1) और 47 (4) सहपठित धारा 181 (1), 181 (2) (v) और 181 (2) (w) के प्रावधानो के अधीन आयोग ने ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2005'' का निर्माण किया था। भारत शासन के ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत (कठिनाईयों का निवारण) आदेश 2005 [एस.ओ. 790 (ई)] दिनांकः 08/06/2005 को जारी किया, जिसके प्रावधानों के अनुसार विद्युत प्रदाय संहिता में संशोधन करना आवश्यक हो गया है । इसके अतिरिक्त संहिता के कार्यानुभव और इसी संहिता के उपबंध 1.6 के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति की संस्तुतियों के आधार पर कतिपय संशोधन आवश्यक हो गये है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के उपबंध 1.10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार कर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग संहिता में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है :–

1. संक्षिप्त शीर्षक, परिभाषा और प्रवर्तन

(i) यह संहिता '**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन) 2007 कही जायेगी ।**

(ii) यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

(iii) इस संहिता में प्रयुक्त, परंतु अपरिभाषित सभी अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2005 में है।

2. कंडिका 1.5 में प्रयुक्त शब्द ''तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण हेतु दिशा निर्देश'' विलोपित किये जायें।

3. कंडिका 1.6 को प्रथम पंक्ति में शब्द ' सहित उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण के लिये दिशा निर्देशों' विलोपित किये जावे।

4. **कंडिका1.7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जावेः–**
''आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों के प्रतिनिधियों में से किसी को अध्यक्ष और आयोग के एक अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्त करेगा। वह अनुज्ञप्तिधारी जिसका प्रतिनिधि अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा, उस अनुज्ञप्तिधारी से समिति के कृत्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक प्रशासनिक व अन्य सहायता उपलब्ध करानी होगी। समिति के सभी सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष के लिये की जावेगी। ''

5. **कंडिका 2.1 (आर) के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जावेः–**
''वितरण प्रणाली'' से अभिप्रेत तारों की प्रणाली से है और जो पारेषण लाइनों के डिलेवरी प्वाइन्ट के बीच या उत्पादन स्टेशन कनेक्शन और उपभोक्ताओं के अधिष्ठान के कनेक्शन के प्वाइन्ट के बीच सुकर (सुविधओं) बनाने के लिये सहयुक्त है। जिसमें ऐसी विद्युत लाईन, उपकेन्द्र और वैद्युतीय संयंत्र , भी सम्मिलित है, जो मुख्यतः ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण क्षेत्र में विद्युत वितरण के उददे्श्य से अनुरक्षित किये गये हो, भले ही, ऐसी लाईन, उपकेन्द्र या संयंत्र उच्च दाब केबल या शिरोपरि लाईन हो या उससे संबद्ध हो या प्रसंगवश उसका उपयोग, अन्य के लिए विद्युत के पारेषण के उददे्श्य से किया गया हो।

6. **कंडिका 4.12 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जावेः–**
''विद्युत ऊर्जा की नई आपूर्ति और पश्चात्वर्ती अतिरिक्त आपूर्ति हेतु आवेदन अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में नाम मात्र के मूल्य पर उपलब्ध होने वाले विहित प्रपत्र में भरकर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 1 एवं 2 में किया गया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के तुरंत पश्चात उसकी पावती दी जावेगी। कोरे प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ अथवा बेबसाइट से ली गई प्रतियों का उपयोग भी उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता जिसे अनुज्ञप्तिधारी स्वीकार करेगा।''

7. **कंडिका 4.17 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जावेः–**

''(i) किसी उपभोक्ता को, उसके संपूर्ण परिसर के लिए किसी एक बिन्दु पर विद्युत की आपूर्ति को जावेगी। आपूर्ति की शर्तो एवं निबंधनों के उददे्श्य से परिसर पृथक–पृथक जाने जावेंगेः–

(a) यदि स्वामित्व या पट्टा, जो संयोजन के समय कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिये वैध हो;

(b) घरेलू श्रेणी के भवन जिनके पास परिसर को प्रथक दर्शाने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त संबधित दस्वावेज हो;

(c) ऐसे घरेलू परिसर हो, जिसका कोई भाग गैर घरेलू उददेश्य के लिए प्रयुक्त किया जा रहा हो; तथा

(d) ऐसी औद्योगिक स्थापनायें हो, जो विभिन्न उत्पादों का एकल उत्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में नहीं करते हों और उनका भैातिक अस्तित्व पृथक–पृथक एवं परिपूर्ण हो;

(ii) प्रत्येक पृथक परिसर को पृथक विन्दु पर विद्युत आपूर्ति की जावेगी।''

8. **कंडिका 4.27 के पश्चात् नये कंडिका 4.27 ए और 4.27 बी निम्नानुसार जोड़े जावेः–**

4.27 ए–यदि कोई भू–विकासकर्ता/भवन निर्माता/गृह निर्माण संस्था/उपभोक्ता समूह भूमिगत केबल के माध्यम से उच्चदाब/निम्नदाब लाईन बिछाना चाहें तो वे ऐसा कर सकेंगे, बशर्ते कि वे तत्संबंधी भारतीय मानकों का अनुपालन करें और केबल भूमिगत नलिका (trench) के भीतर बिछाये जावें। यह बंधन बहुउपभोक्ता परिसरों और नई आवासीय बस्तियों पर भी लागू होगा।

4.27 बी– यदि कोई भू–विकासकर्ता/भवन निर्माता/गृह निर्माण संस्था/उपभोक्ता समूह 11/0.4 के. व्ही. वोल्टेज पर 315 के. व्ही. ए. से अधिक क्षमता का ट्रांससफार्मर, विशेष प्रकार के आई.एस.आई. अंकित उपकारणों सहित अर्जित करना चाहे, तो ऐसे उपभोक्ताओं को एक अतिरिक्त विस्थापक ईकाई, स्थापित करनी होगी। यह बंधन बहुउपभोक्ता परिसरों और नई आवासीय बस्तियों पर भी लागू होगा।

9. कंडिका 4.28 से 4.39 तक के लिए दिये गये उपशीर्षक में से'' सहित व्यावसायिक परिसरों '' शब्द विलोपित किय जायें।

10. **कंडिका 4.28 के अंत में निम्नलिखित पंक्तियाँ जोड़ी जावेः–**

''बहु उपभोक्ता परिसर'' के अंतर्गत आवासीय तथा गैर आवासीय दोनों प्रकार के परिसर सम्मिलित होंगे गैर आवासीय परिसर जैसे कि व्यावसायिक परिसर,कार्यालय परिसर, और शिक्षण संस्थायें। शिक्षण संस्थाओं को एक संयोजन उपलब्ध कराया जावेगा।

11. **कंडिका 4.33 निम्नानुसार प्रतिस्थाधित किया जावेः–**

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर शीर्षक वाले अध्याय 8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मीटर सामान्यतया पिलर बाक्स में एक निर्धारित स्थान पर लगाए जायेंगे।

12. **कंडिका 4.38 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेः–**

भार के आंकलन हेतु निम्नलिखित मापदण्ड लागू होंगेः–

विर्निमित क्षेत्र	**भार**
(i) **<u>आवासीय परिसरों के लिए</u>**	
a) 400 वर्ग फीट तक	1.5 किलोवॉट
b) 400 वर्ग फीट से अधिक तथा 700 वर्ग फीट तक	2.0 किलोवॉट

c) 700 वर्ग फीट से अधिक तथा 1000 वर्ग फीट तक 3.0 किलोवॉट

d) 1000 वर्ग फीट से अधिक तथा 1300 वर्ग फीट तक 4.0 किलोवॉट

e) 1300 वर्ग फीट से अधिक तथा 1600 वर्ग फीट तक 5.0 किलोवॉट

f) 1600 वर्ग फीट से अधिक तथा 2000 वर्ग फीट तक 7.0 किलोवॉट

g) 2000 वर्ग फीट से अधिक तथा 2500 वर्ग फीट तक 10.0 किलोवॉट

h) 2500 वर्गफीट से अधिक के प्रत्येक अतिरिक्त 500 वर्गफीट या उसके किसी भाग के लिए 1 किलावाट की दर से अतिरिक्त भार की गणना कर उसे 10 किलोवाट में जोड़ा जावेगा।

(ii) **<u>गैर आवासी परिसरों के लिए</u>**

प्रत्येक 100 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र के लिए एक किलोवाट

टीपः– लिफ्ट, वाटर पम्प, पार्किंग लाइट इत्यादि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भार डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा घोषित भार के बराबर लिया जायेगा।

भार आंकलन की ऊपर उल्लेखित प्रक्रिया बहु–उपभोक्ता परिसरों के भार निर्धारण में एकरूपता लाने के उद्देश से है। तथापि सुरक्षा निधि इत्यादि का निर्धारण व्यक्तिगत् उपभोक्ता को कनेक्शन देते समय उसके द्वारा घोषित एवं परीक्षण पत्र में इंगित भार के आधार पर किया जायेगा।

आवासीय बहु उपभोक्ता परिसरों की दशा में भार की गणना हेतु प्रत्येक उपभोक्ता के व्यक्तिगत निर्माण क्षेत्र को लिया जावेगा, जबकि शैक्षणिक संस्था और गैर आवासीय बहुउपभोक्ता परिसरों की दशा में संयोजित भार की गणना, परिसर के संपूर्ण निर्मित क्षेत्र को लेकर की जावेगी।

13. **कंडिका 4.41 में 4.41 (h) के पश्चात् निम्नानुसार एक नयाखण्ड 4.41(i) जोड़ा जावेः–**

4.41(i) –3500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्र वाले अतिरिक्त भूखण्ड के प्रत्येक 500 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिए 1 किलोवाट की दर से अतिरिक्त भार 10 किलोवाट में जोड़ा जावे।

14. कंडिका 5.2 में से (देखें कंडिका 4.17)' शब्द विलोपित किये जावें और अंत में निम्नानुसार वाक्य जोड़े जावेंः–

'' ऐसे विद्यमान उपभोक्ता, जिनके परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु दो अलग–अलग संयोजन हो, उनके वर्तमान अनुबंध की समाप्ति पर उसमें से एक संयोजन काट दिया जावेगा। ''

15. **कंडिका 7.3 से 7.8 तक के उपशीर्षक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जावेः–**

'' संविदा मांग/संयोजित भार में वृद्धि हेतु प्रक्रिया '

16. **अध्याय–7 में कंडिका 7.8 के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका 7.8 ए सम्मिलित की जावेः–**

''**7.8 ए** –यदि ऐसा उपभोक्ता, जिसने किसी भी कारण से अपने संविदा भार/संविदा मांग में कमी की हो, ऐसे कमी किये जाने के दिन से एक वर्ष के भीतर उसे पूर्ववत् करना चाहे, तो वह भार के पुनर्स्थापन से होने वाले वास्तविक व्यय मात्र के भुगतान का उत्तरदायी होगा। यदि ऐसा भार पुनर्स्थापन, पूर्व स्वीकृत भार से अधिक के लिए, आपूर्ति प्रबंधन भार देय होगा। एक वर्ष के बाद भार को पुनर्स्थापन पर आयोग द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित आपूर्ति प्रबंधन प्रभार देय होंगे। ऐसा पुनर्स्थापन, पूरक अनुबंध के निष्पादन के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक संविदा भार में कमी अनुज्ञात न किये जाने की शर्त के अधीन होगा।''

17. **कंडिका 7.14 के प्रावधान निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेः–**

''जब संविदा भार में कमी पर सहमति हो जावे, तब उपभोक्ता एक पूरक अनुबंध निष्पादित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, सुरक्षा निधि का पुर्नाकलन करेगा और यदि इस आकलन से अधिक निधि उसके पास जमा हो, तो वह अगले तीन देयकों की राशि में उसे समायोजित करेगा। ऐसे तीन बिलों में समायोजन के बाद भी जमा शेष रहे तो, वह एक माह के भीतर उपभोक्ता को लौटा दी जावेगी।''

18. **कंडिका 7.27 के पश्चात् शीर्षक ' सुरक्षा निधि ' के बाद नया कंडिका 7.28 निम्नानुसार जोड़ा जावेः–**

''7.28 सुरक्षा निधि, अधिनियम की धारा 47 (1) और (4) तथा समय–समय पर यथा संशेधित छ.रा.वि.नि.आ. (सुरक्षा निधि) विनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप देय होगी।''

19. **विद्यमान कंडिका 7.28 से 7.36 तक विलोपित किये जावे।**

20. **कंडिका 8.22 के पश्चात् , शीर्षक सहित एक नया कंडिका 8.23 निम्नानुसार जोड़ा जावेः–**

''केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों का लागू होना''

8.23 मीटरों की स्थापना तथा उनके संचालन के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धाराओं 55 (1), 73 (ई) और 177(2) (सी) के प्रावधानों के अधीन निर्मित तथा समय–समय पर यथा संशोधित विनियमों के प्रावधान और आयोग के तत्संबंधी आदेश तथा मार्गदर्शक नियम लागू होंगे।''

21. **कंडिका 9.2 के प्रावधान निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किये जावेः–**

''मीटर वाचक/ निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने पास, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त किये गये फोटोयुक्त परिपत्र पत्र, रखेंगे और उसे इस तरह धारण करेंगे कि वह मीटर वाचन के दौरान दिखाई देवे।''

22. **कंडिका 10.8 के प्रावधान में निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किये जावेः–**

''चेक के अनादरण की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे से उपभोक्ता की सुरक्षा निधि में बढ़ोत्तरी कर सके। अनुज्ञप्तिधारी को यह भी अधिकार होगा कि वह चेक अनादरण प्रभार और विलंबित भुगतान प्रभार की उगााही सहित अन्य विधिपूर्ण कार्यवाहियाँ कर सके। वह ऐसे उपभोक्ता को भावी भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा या नगद करने हेतु भी बाध्य कर सकेगा।''

23. **विद्यमान अध्याय 11 के प्रावधानों को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जावेः–**

11.1 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग या विद्युत संयंत्रों, तारों, उपकरणों या मीटरों की विकृति, विकर्षण या हानि रोकने हेतु सभी अवाश्यक उपाय करेगा।

11.2 उपभोक्ता, उसे प्रदान की गई आपूर्ति का ऐसा उपयोग नही करेगा, जो अनुज्ञप्तिधारी के हितों के प्रतिकूल हो।

(A) विद्युत का अनधिकृत उपयोग

11.3 विद्युत के अनधिकृत उपयोग के मूल्यांकन हेतु अधिनियम में धारा 126 के प्रावधान किये गये है। राज्य शासन द्वारा दिनांक 22.03.2006 को यथा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 (संक्षेप में इसे आगे नियम में लिख गया है) में ऐसे प्रकरणों के निपटारे हेतु कतिपय सुरक्षित प्रावधान किये गये हैं। सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा इन नियमों का अनुसरण किया जावे।

11.4 **विद्युत के अनधिकृत उपयोग से तात्पर्य है कि किये गये विद्युत उपयोगः–**

(i) किन्ही कृत्रिम साधनों अथवा उपायों द्वारा, या

(ii) ऐसे साधनों द्वारा, जिन्हें संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत नही किया गया हो, या

(iii) बिगड़े हुए मीटर के माध्यम से, या

(iv) विद्युत उपयोग हेतु अधिकृत उददे्श्यों के अलावा, अन्य उददे्श्य हेतु विद्युत का उपयोग या

(v) फेज बांटने वाले साधन का उपयोग एवं एकल फेज की आपूर्ति में तीन फेज वाली मोटरों या उपकरणों का उपयोग करना; या

(vi) निम्नदाब उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंध में किये गये भार से परे संयोजित या संविदा भार में वृद्धि द्वारा तथापि यह प्रावधान घरेलू उपभोक्ताओं को लागू नही होगा; या

(vii) अनुबंध द्वारा विद्युत के अधिकृत उपयोग हेतु अनुमोदित भूमि सीमा से परे विद्युत आपूर्ति का विस्तार ; या

(viii) मीटर का स्थान बदलन; या

(ix) अन्य विद्युत संस्थापनाओं में अनधिकृत परिवर्तन करना, या

(x) न्यूटल तार के संयोजन का विच्छेद ,या

(xi) मापन प्रणाली से सहयोजित ऐसे मीटर या उपकरण द्वारा, जो दुर्घटनावश क्षतिग्रस्त हो गये हों।

11.5 यदि किसी स्थान या परिसर के निरीक्षण के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि उस स्थान या परिसर में कोई व्यक्ति विद्युत के अनधिकृत उपयोग में रत है, तो वह, ऐसे व्यक्ति की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कर सकेगा। नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसी कार्यवाही की सूचना संबंधित व्यक्ति को आपूर्ति विच्छेद से 24 घंटे के भीतर देनी होगी।

11.6 घरेलू और कृषि संयोजनों की दशा में निरीक्षण के दिनांक के ठीक पूर्व के तीन माह से और अन्य सभी संयोजनों की दशा में निरीक्षण के दिनांक से पूर्व के छः माह से विद्युत का अनधिकृत उपयोग जारी रहने की धारणा करते हुए निर्धारक/अधिकृत अधिकारी उसका देयक तैयार करेगा, जब तक कि संबंधित व्यक्ति द्वारा अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जावे।

उस दशा में जबकि संयोजन की अवधि ऊपर उल्लेखित अवधि से कम हो, तब देयक का निर्धारण संयोजन की तिथि से निरीक्षण की तिथि तक की अवधि के लिए किया जावेगा। तथापि जहाँ परिसर में ईलेक्ट्रानिक मीटर लगाये हो, वहाँ आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा उस निश्चित अवधि का पता लगाया जावेगा, जिसमें विद्युत का अनधिकृत उपयोग जारी रहा हो और ऐसी अवधि निर्धारण हेतु ली जावेगी।

11.7 निर्धारण संबंधित वर्ग को लागू होने वाले शुल्क दर (टेरिफ) से डेढ़ गुनी दर पर किया जावेगा।

11.8 विद्युत के अनधिकृत उपयोग के कारण होने वाली खपत निम्नलिखित गणना विधि द्वारा ज्ञात की जावेगीः–

(a) निम्नदाब उपभोक्ताओं के संबंध मेंः–

अनुमानितः यूनिट प्रतिमाह = LxDxH , जहाँ

L= निरीक्षण की कार्यवाही के दौरान पाया गया संयोजित भार किलोवॉट में।

D= कार्य दिवासों की संख्या, प्रतिमाह 30 दिन मानी जावेगी, उसमाह, जिसमें विद्युत के अनधिकृत उपयोग किये जाने का संदेह हो।

H= घण्टे प्रतिदिन, जो औद्योगिक उपभेक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के लिये 8 घण्टे प्रतिदिन होगा। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए प्रतिदिन उतने घण्टे लिये जावेगे, जितने घण्टे वह उद्योग संचालित होता हो। परंतु किसी भी दशा में यह अवधि 8 घण्टे से कम नही होगी।

(b) उच्चदाब उपभोक्ताओं के संबंध मेंः–

इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से एम. आर. आई द्वारा प्राप्त आंकडों और अनाधिकृत उपयोग पाये जाने के दिन से पूर्व के तीन महीनों के औसत उपयोग के आधार पर विद्युत का मूल्य निर्धारण किया जावेगा। एम.आर.आई. आंकड़ों के अनुपलब्ध होने की दशा में समान उद्योगों के पद्धति के आधार पर विद्युत देयक तैयार किये जावेंगे।

11.9 अस्थायी निर्धारण का आदेश, उस व्यक्ति पर जो, उस स्थान या परिसर का आधिपत्य या कब्जा रखता हो अथवा उसके प्रभार में हो, निरीक्षण के तीन दिनों के भीतर नियमों में यथा निर्धारित रीति में रजिस्टर्ड डाक द्वारा या हमदस्त तामील किया जावेगा जिसकी पावती ली जावेगी।

यदि अस्थायी निर्धारण स्वीकार कर लिया जावे, और निर्धारित राशि, अस्थायी देयक प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर जमा करा दी जावे, तो ऐसा व्यक्ति किसी अन्य देनदारी अथवा कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नही होगा।

11.10 स्थायी निर्धारण की संपूर्ण राशि प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति बहाल करेगा। अनुज्ञप्तिधारी अस्थायी निर्धारण की एक तिहाई राशि प्राप्त होने तथा कंडिका11.12 के अनुसार अंतिम निर्धारण लंबित रखने की दशा में भी विद्युत आपूर्ति खपत कर सकता है।

11.11 क्षुध व्यक्ति, जिसे कंडिका11.9 के अनुसार सूचना तामील की गई हो, वह अपनी आपत्तियाँ, यदि कोई हो सूचना प्राप्ति के दिनांक से सात दिनों के भीतर, राज्य शासन द्वारा नियमानुसार नामित निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा जो उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अस्थायी निर्धारण के दिनांक से एक माह के भीतर विद्युत प्रभार के निर्धारण का अंतिम आदेश पारित करेगा।

11.12 वह व्यक्ति, जो अंतिम आदेश से क्षुब्ध हो, अंतिम आदेश पारित होने के दिन से 30 दिनों के भीतर, उस अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष, जिसे राज्य शासन ने नियमों द्वारा नामित किया हो, अपील प्रस्तुत कर सकेगा, बशर्ते उसने निर्धारित राशि का एक तिहाई अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा कर दिया हो और ऐसे जमा का दस्तावेजी प्रमाण, अपील ज्ञापन (अपील मेमो) के साथ संलग्न किया हो।

11.13 आयोग द्वारा दिनांक 5.12.05 को अधिसूचित तथा समय–समय पर संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया) विनियम 2005 में दिये गये प्रारूप व रीति से अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

11.14 अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

11.15 जब कोई व्यक्ति निर्धारित राशि के भुगतान में चूक करे, तो वह निर्धारण के आदेश के दिनांक से 30 दिनों की अवधि बीत जाने पर अधिनियम की धारा 127 (6) में यथा प्रावधित ब्याज की राशि, जो 16% प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक छमाही में परिगणित की जावेगी, के भुगतान का भी उत्तरदायी होगा।

(B) विद्युत की चोरी

11.16 विद्युत की चोरी से निपटने हेतु विद्युत अधिनियम की धारा 135 में प्राक्धान किये गये हैं। चोरी के प्रकरण निपटाने हेतु राज्य विद्युत नियमों में विस्तृत प्रावधान किये गये हैं, जिसका सभी संबंधितों द्वारा कठोरता से अनुपालन अपेक्षित है।

11.17 जो कोई बेईमानी पूर्वक

(a) अनुज्ञप्तिधारी के शिरोपरि, भूमिगत अथवा जलगत लाईनों या केबलों या परिवेषण तारों या सेवा सुविधाओं से अपकर्षण या संयोजन करेगा अथवा ऐसा करवायेगा, अथवा

(b) मीटर खराब (विकृत) करेगा या खराब मीटर स्थापित अथवा प्रयुक्त करेगा, धारा दिशा परिवर्तक परावर्ती संयोजन अथवा किसी अन्य साधनों या विधि से जिसके द्वारा विद्युत धारा का त्रुटिहीन एवं उचित विवरण , परिगणना अथवा मापन में हस्तक्षेप किया जाता है, या अन्यथा जिसका परिणाम ऐसे रीति में विद्युत की चोरी या उसका नष्ट होना हो, अथवा

(c) विद्युत के उचित एवं त्रुटिहीन मापन में हस्तक्षेप करते हुए किसी वैद्युत मीटर, औजारों, उपकरणों या तारों को क्षति पहुंचाता है या उन्हें नष्ट करता है या करवाता है या किसी को ऐसा करने देता है , ताकि उससे परे विद्युत का उपभोग एवं उपयोग किया जा सके, वह, धारा 135 के प्रावधानों और नियमों के अधीन दण्ड का भागी होगा।

11.18 धारा 135 की उपधारा (2) के अधीन चोरी का पता लगाने के उद्देश्य से, ऐसा कोई अधिकारी, जिसे राज्य शासन ने नियमों द्वारा अधिकृत किया हो, उसमे दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी स्थान में प्रवेश,शोध तथा जप्ती की कार्यवाही कर सकता है।

11.19 ऐसे परिसरों के मामले में, जहाँ विद्युत का नियमित संयोजन न हो, वहाँ विद्युत की चोरी पाये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिसर की आपूर्ति तत्काल विखण्डित करेगा और मुख्य वितरण तार तक लगे तार, केबल, संयंत्र या अवैध मीटर या अन्य उपकरण जो भी विद्युत की चोरी हेतु उपयोग में लाया जा रहा हो, को अधिनियम के प्रावधानों और नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार हटाकर चोरी करने का साधन हटा देगा। तत्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी और चोरी रोकने हेतु ऐसे तार, केबल या विद्युत संयंत्र को हटा सकेगा या बदल या परिवर्तित कर सकेगा बशर्ते कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत की उत्तम आपूर्ति में असुविधा या बाधा न हो।

11.20 उन मामलो में, जहाँ व्यक्ति के पास अनुज्ञप्तिधारी से नियमित विद्युत संयोजन हो और वहाँ विद्युत की चोरी, मीटर या मापन उपकरण को छोड़कर अन्य मार्ग से विद्युत लेकर किया जाना पाया जावे और उस व्यक्ति के संयोजन का पूर्ण या आंशिक वैद्युत भार सीधे तार, केबल वैद्युत

संयंत्र से संयोजित पाया जावे, अथवा बेईमानी पूर्ण आशय के साथ मीटर खराब पाया जावे, तब ऐसे परिसर की विद्युत आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसी क्षण विखंडित कर दी जावेगी।

11.21 जहाँ यह स्थापित हो जावे कि कोई प्रकरण विद्युत की चोरी का प्रकरण है , वहाँ राज्य शासन द्वारा नियमानुसार इस हेतु सशक्त अधिकारी, विद्युत (कठिनाइयों को हटायेगा) आदेश दिनाँक 08.06.05 [5.0.790(E)] के अनुसार विशेष न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन लंबित रहने के दौरान विद्युत अधिनियम की धारा 154 (5) में यथा प्रावधित विद्युत की चोरी के लिए देयक तैयार करेगा।

11.22 ऐसा निर्धारण, संबंधित श्रेणी को तत्समय लागू टैरिफ की दर के ढ़ाई गुना से, ऊर्जा की चोरी पाये जाने के दिनाँक से ठीक पहले के बारह महीनों अथवा यदि ज्ञात की जा सके तो, चोरी की निश्चित अवधि, जो भी कम हो, का अनुमानित देयक बनाया जावेगा। देयक को संबंधित व्यक्ति को प्रदान कर उचित पावती ली जावेगी।

11.23 विद्युत चोरी के कारण हुई खपत की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जावेगीः—

(a) निम्नदाब उपभोक्ताओं के संबंध मेंः—

प्रतिमाह निर्धारित इकाईयाँ = LxDxH,

L— वह भार,जो निरीक्षण के दौरान संयोजित पाया जावे, किलोवाट में

D— कार्य दिवसों की संख्या प्रतिमाह 30 कार्यदिवस माने जावेगे उस अवधि के दौरान, जिसमें चोरी या गड़बड़ी सम्भावित हो,

H— घण्टे प्रतिदिन, जो औद्योगिक उपभेक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के लिये 8 घण्टे प्रतिदिन होगा। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए प्रतिदिन उतने घण्टे लिये जावेंगे, जितने घण्टे वह उद्योग संचालित होता हो। परंतु किसी भी दशा में यह अवधि 8 घण्टे से कम नही होगी।

(b) उच्चदाब उपभोक्ताओं के संबंध मेंः—

इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से एम. आर. आई द्वारा प्राप्त आंकडों और अनाधिकृत उपयोग पाये जाने के दिन से पूर्व के तीन मशीनों के औसत उपयोग के आधार पर विद्युत का मूल्य निर्धारण किया जावेगा। एम.आर.आई. आंकड़ों के अनुपलब्ध होने की दशा में समान उद्योगों की खपत के आधार पर, विद्युत देयक तैयार किया जावेगा।

11.24 अधिकृत अधिकारी, ऐसा मूल्य निर्धारण करते समय, उस व्यक्ति द्वारा चोरी पाये जाने के 48 घण्टों के भीतर प्रस्तुत अभ्यावेदन अन्य साक्ष्यों, जिसे वह सुसंगत माने, को ध्यान में रखेगा। अधिकृत अधिकारी किये गये मूल्य निर्धारण के कारण अभिलेखित करेगा। उस व्यक्ति द्वारा उस अवधि में, जिसके लिए निर्धारण किया जा रहा हो, पटाये गये प्रभारों, यदि कोई हो को विधिवत जमा करेगा, ताकि ऐसी अवधि में देयकों का दोहराव टाला जा सके।

11.25 अधिकृत अधिकारी, किसी व्यक्ति द्वारा की गई विद्युत की चोरी के विरूद्ध प्रभारेां के लिए अपना आदेश, तीन दिनों के भीतर उस रीति से, जो नियमों में हो, तामील करेगा और वह व्यक्ति 30 दिनों के भीतर उनका भुगतान करेगा।

11.26 चोरी करने के साधन को हटाने के 48 घंटो के भीतर उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति बहाल की जावेगी, बशर्ते कि निर्धारित संपूर्ण राशि जमा कर दी जावे। अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति बहाल करने के पूर्व उस परिसर में चोरी या दुराचरण की पुनरावृत्ति रोकने हेतु समुचित उपाय करेगा।

11.27 उपरोक्त कार्यवाही, अनुज्ञप्तिधारी को चोरी में शामिल व्यक्ति के विरूद्ध विद्युत अधिनियम के अध्याय 15 के अधीन गठित विशेष न्यायालय में दाण्डित कार्यवाही संस्थित करने से प्रवारित नहीं करेगी।

अपराधों का शमन

11.28 अपराधों का शमन अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों के अनुरूप किया जावेगा। अपराधों के शमन हेतु अधिकृत अधिकारी नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा।

11.29 विद्युत की चोरी के अपराध के संबंध में अभिरक्षा में लिये गये व्यक्ति या उपभोक्ता को, अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) के अनुरूप अथवा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करने पर मुक्त कर दिया जावेगा। ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध अधिनियम की धारा 152(2) के अंतर्गत कोई कार्यवाही किसी दाण्डिक न्यायालय में संस्थित नही की जावेगी अथवा जारी नहीं रखी जावेगी।

11.30 अधिनियम की धारा 152 के अधीन किसी व्यक्ति या उपभोक्ता के अपराध का शमन केवल एक बार ही किया जावेगा।

(C) निरोधात्मक उपाय

11.31 ऊर्जा मंत्रालय भारत शासन द्वारा अधिसूचित विद्युत (विद्युत कठिनाईयों का निराकरण) आदेश 2005 [एस.ओ. 790 (ई) दिनांक 8 जून 2005] चोरी पर नियंत्रण हेतु समुचित उपाय अपनाने का आदेश देता है।

11.32 विद्युत की दिशा बदल, चोरी या उसका अनधिकृत उपयोग या वैद्युत संयंत्र, विद्युत तार या मीटर से छेड़छाड़ विकर्षण या क्षति रोकने या कम करने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक निरोधात्मक उपाय करेगा।

11.33 अनुज्ञप्तिधारी आगामी 5 वर्षो में सभी परिसरों में स्थापित सभी मीटरों के लिए छेड़छाड़ रोधी मीटर बाक्स (आवरण) उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर प्रतिवर्ष कम से कम 20 प्रतिशत मीटरों को छेड़छाड़ रोधी मीटर बाक्स उपलब्ध करायेगा। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी, मीटर से परे विद्युत का उपयोग/चोरी रोकने हेतु परिवेषण तारों की स्थितियाँ का सतत् अवलोकन करेगा और जहाँ कहीं आवश्यक हो उसे बदल देगा।

11.34 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं के परिसरों के नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा और विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग या वैद्युत संयंत्र, विद्युत तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण क्षति का निर्मूलन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बनाये रखेगा। निरीक्षण/सावधानी हेतु चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों को प्रथमिकता दी जावेगी।

11.35 सभी उच्चदाब संयोजनों और ऐसे निम्नदाब संयोजनों, जिनकी संविदा मांग/संयोजित भार 25 अश्वशक्ति या उससे अधिक हो, सहित बड़े उपभोक्ताओं की खपत का नियमित मासिक अनुशीलन करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी एक तंत्र विकसित कर तीन माह के भीटर प्रस्तुत करेगा। खपत में अत्यधिक उच्चावचनों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जावेगा। संदेहास्पद मामलों में अनुज्ञप्तिधारी त्वरित निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

11.36 अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के चिन्हित बड़े शहरों और ऐसे नगरों, जहाँ जिले का मुख्यालय हो, के लिए 33 के.व्ही और 11 के.व्ही के संभरकों के अनुसार प्रत्येक फेज के हानि की परिगणना सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा। उपरोक्त रीति से परिगणना कर अधिक हानि वाले क्षेत्रों

के रूप में चिन्हित किये गये स्थानों पर हानि कम करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी समुचित कदम उठायेगा।

11.37 अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर स्थापित करेगा और ऊर्जा के अंकेक्षण करेगा, ताकि अधिक हानि वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और उन क्षेत्रों में हानि कम करने के लिए अन्य समुचित कार्यवाही करेगा।

11.38 खपत के अनुशीलन और विद्युत की चोरी रोकने के उद्देश्य से अनुज्ञप्तिधारी, सभी उच्चदाब संयोजनों पर प्राथमिकता के साथ दूरस्थ मापक साधनों को स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी, उच्चमूल्यों वाले निम्नदाब संयोजनों पर भी दूरस्थ मापक साधन स्थापित करने का प्रयास करेगा।

11.39 अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक हानि के स्तर, ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले उसके प्रभाव तथा विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग या वैद्युत संयंत्र, तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण या क्षति रोकने या उसका पता लगाने में उनका सहयोग प्राप्त करने और उनमें जागरूकता लाने के लिए प्रचार माध्यमों, दूरदर्शन और समाचार पत्रों के द्वारा इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था करेगा। अनुज्ञप्तिधारी अपने उपभोक्ता सेवा संबंधी कार्यालयों में उपरोक्त विषयों की जानकारी के साथ प्रदर्शक पट भी स्थापित करेगा।

11.40 अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाईट पर क्षेत्रवार, वृन्तवार, संभागवार, उपकेन्द्रवार और संभरकवार हानियों, विद्युत के धारा परिवर्तन, चोरी अनधिकृत उपयोग अथवा वैद्युत संयंत्र, तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण हानि रोकने के लिए वर्षभर किये गये प्रयत्न और प्राप्त परिणामों की जानकारी प्रदर्शित करेगा। यह वेबसाईट हर तिमाही में आदिनांकित की जावेगी।

11.41 अनुज्ञप्तिधारी, अधिकृत अधिकारियों को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षा बल उपलब्ध करायेगा। ऐसा सुरक्षा दस्ता, छापों के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगातार अधिकृत अधिकारियों के साथ रहेगा।

11.42 अनुज्ञप्तिधारी, चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों में उसके तारों से तार फंसाकर सीधी चोरी रोकने हेतु शिरोपरि खुले विद्युत चालकों को हटाकर केबल लगायेगा।

11.43 अनुज्ञप्तिधारी चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों में जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ कम क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हुए उच्चदाब वितरण तंत्र (निम्नदाब रहित तंत्र) उपलब्ध करायेगा।

11.44 अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान उपभोक्ताओं के मीटर, उस परिसर की परिसीमा के भीतर, इस तरह से पुनस्थापित करने हेतु अधिकृत होगा, ताकि वह परिसर के बाहर से स्पष्ट दिखाई दे और उसके द्वारा दर्ज खपत बाहर से पढ़ी जा सके तथा वह पठन, निरीक्षण, परीक्षण एवं अन्य संबंधित कार्यो के लिए सुगम्य हो। संदिग्ध प्रकरणों में जहाँ सतत सावधानी संभव न हो अनुज्ञप्तिधारी अपने खम्बों या संभरक स्तम्भों में जांच मीटर लगा सकेगा। ऐसे मामलों में जहाँ विद्युत चोरी बार–बार हो, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी ऐसे संयोजनों के लिए अपने खम्बों या संभरक स्तंभों पर देयक हेतु मीटर लगा सकेगा।

11.45 चोरी रोकने के मद में किया गया खर्च टैरिफ अवधारण में अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित किया जावेगा।

11.46 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उन मामलों की, जहाँ चोरी पाई गई हो, सूची रखी जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी उन मामलों की भी सूची रखेगा जहाँ दोबारा और उसके पश्चात् भी चोरी के मामले पाये गये हो, और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई हो।

24. खण्ड 12.6 में दूसरे वाक्य से '' और आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने वाली वितरण संहिता तथा सुरक्षा संहिता'' विलोपित किया जावे।

25. कंडिका4.2, 4.30 (2), 4.31, 4.37, 4.38, 4.40(2), 4.41 और 4.46 में प्रयुक्त शब्दों (सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेस (प्रणाली उन्नयन प्रभार) को 'आपूर्ति प्रबंधन प्रभारों' से प्रतिस्थापित किया जावे।

26. कंडिका7.11 (सी) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जावेः–
''संविदा मांग में कमी, आवेदन के दिनांक से 30 दिनों के पश्चात अथवा उस बिलिंग माह जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ हो, के तुरंत पश्चात आने वाले बिलिंग माह के प्रथम दिन से, जो भी बाद में हो, प्रभावी होगी।''

27. परिशिष्ट 1 और 2 में निम्नलिखित जोड़ा जावेः–

पावती

(अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जावेगी)

..... से दिनांक ..... से प्राप्त आवेदन प्रपत्र को अनुज्ञप्तिधारी के ..... स्थित कार्यालय की पंजी. में क्रमांक ..... पर दर्ज किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी के नाम मुद्रा तथा तारीख सहित हस्ताक्षर

टीपः– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की, अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(एन. के. रूपवानी)
सचिव